

बी 0 व 0 क

दिनांक 20 जुलाई, 2016 को अपराह्न 12:00 बजे डा0 राधाकृष्णन बैठक सभाकक्ष में सम्पन्न विश्वविद्यालय की शैक्षणिक क्रियाकलाप समिति की षष्ठम् बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही:-

1. प्रो0 के0 जी0 उपाध्याय, अधिष्ठाता, संकाय मामलें/छात्र मामलें	:	अध्यक्ष
2. प्रो0 एस0 के0 श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता	:	सदस्य
3. प्रो0 वी0 के0 गिरि, परीक्षा नियंत्रक/अधिष्ठाता नियोजन	:	सदस्य
4. प्रो0 उदय शंकर, अधिष्ठाता, परास्नातक अध्ययन एव आर0एण्डडी0	:	सदस्य
5. प्रो0 एस0 एम0 अली जावेद, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी0 विभाग	:	सदस्य
6. प्रो0 डी0 के0 द्विवेदी, अध्यक्ष, सी0एस0ए0/विभागाध्यक्ष, ए0एस0डी0	:	सदस्य
7. प्रो0 राकेश कुमार, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0	:	सदस्य
8. डा0 एस0 सी0 जैसवाल, विभागाध्यक्ष, यांत्रिक अभि0 विभाग	:	सदस्य
9. श्री जी0 एस0 त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष, विद्युतकण एवं संचार अभि0 विभाग	:	सदस्य
10. श्री के0 पी0 सिंह, कुलसचिव	:	सदस्य-सचिव

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

1. बैठक में शैक्षणिक क्रियाकलाप समिति ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त बी0टेक0 के छात्रों की "Not Promoted" छात्रों की सूची का अवलोकन किया गया। उपरोक्त छात्रों के प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय वर्ष के आड सेमेस्टर में बैक होने के कारण निर्धारित क्रेडिट पूर्ण न होने के फलस्वरूप अगले सेमेस्टर/वर्ष में पंजीकरण नहीं हो पा रहा है।

विश्वविद्यालय के स्नातक आर्डिनेन्स बिन्दु 6.1.9.1(Academic Criteria for Continuation) के क्रमांक (b) के अनुसार बी0टेक0 द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए " They must earn 90% of total credits (i.e. min. 45 credits) in the 1<sup>st</sup> year and 50% of total (i.e. 23 credits) Credits in odd and even semester of an academic session of 2<sup>nd</sup> year for promotion to 3<sup>rd</sup> year failing which they have to re-register & repeat complete 2<sup>nd</sup> year or earn the requisite credits through re-major examination in respective year as case may be"

बी0टेक0 प्रथम वर्ष में निर्धारित 49 क्रेडिट में से कम से कम 45 क्रेडिट अर्जित किया जाना अनिवार्य है। यह भी सूच्य है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का भरपूर लाभ विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को दिये जाने के क्रम में छात्रों द्वारा Subject Drop का विकल्प भी चुना गया जिसके कारण उनके क्रेडिट निर्धारित न्यूनतम 45 क्रेडिट से कम हो गये फलस्वरूप उनका अगले सेमेस्टर/वर्ष में पंजीकरण नहीं हो पा रहा है।

इस स्थिति में आर्डिनेन्स में इंगित प्राविधानों के अनुसार छात्र द्वारा द्वितीय वर्ष में पंजीकरण करा कर पुनः अध्ययन करने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त आर्डिनेन्स में Choice Based Credit System की भावना के परिपेक्ष्य में विषमताओं का संज्ञान लेते हुए छात्र/छात्राओं को इसका लाभ देने हेतु शैक्षणिक क्रियाकलाप समिति द्वारा गहन



